संख्याः 2/6109/नौ-5-13-94बजट/2012

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 24 सितम्बर, 2013

विषयः वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद सोनभद्र की घोरावल नगर पंचायत पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), उ.प्र. जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या -117/नागर-2/033-0304/12, दिनांक 30-08-2012 एवं पत्र संख्या-298/नागर-2/033 -0304/13, दिनांक 31-08-2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र की घोरावल नगर पंचायत पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 03-07-2013 में अनुमोदित लागत रू0 571.33 लाख (रूपये पांच करोड़ इकहत्तर लाख तैतीस हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति पर अनुमोदन प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ तथा विशेष सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार /भारतीय स्टेट बैंक से एक मुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाता/पीएलए में नहीं रखी जायेगा।
(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समययावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय तथा प्रायोजना का कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(3) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) रोकने की दृष्टि से निर्माण कार्य से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) प्रायोजना में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संथा का होगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही हैए उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री एवं उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा, जिसका विस्तृत विवरण तथा भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक भेजा जाना आवश्यक है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद को भेजा जाना वांछनीय है।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-193-नगर पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यो हेतु-35-पूर्जीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग विभाग की अशासकीय पंजी संख्या-ई-8-3450-दस-2013, दिनांकः 19 सितम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0
(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 6109(1)/नौ-5-2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(वक्स लेखा अनुभाग), उ.प्र. इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ/सोनभद्र।
3. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
6. वित्त(ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/4ा
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8. मुख्य अभियन्ता(इला0क्षे0) उ.प्र. जल निगम, इलाहाबाद।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ.प्र. जल निगम, सोनभद्र।
10. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, घोरावल जनपद सोनभद्र।
11. सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
ह0
(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।